

का.आ. 687(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 308 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लोक कल्याण समिति 11-ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आंखों की देखभाल के कार्यक्रम की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक कल्याण समिति - 11 ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में चलाई जा रही आंखों की देखभाल के कार्यक्रम की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए केवल दस करोड़, ग्यारह लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।